फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र– **अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट** मु.नं. 30/सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनि ियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.05.2019	यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व सुजानगढ से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सैग्रीगेशन को दृश्टिगत रखते हुए पटवारी हल्का शोभासर ने खाता दुरूस्ती बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक सालासर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुजानगढ की अनुशंशा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम शोभासर तहसील सुजानगढ व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में खाता संख्या 613 में वर्तमान में दर्ज प्रविश्टि को निम्नलिखित रूप से भुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–	

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविश्टि (अशुद्ध प्रविश्टि)	आदे ा (शुद्ध प्रविश्टि जो राजस्व रिकॅार्ड मे दर्ज की जानी है)
1.	बाड़ा	**77**	**डूंगरराम वल्द रामुराम हिस्सा 1/8 जाति मेधवाल निवासी शोभासर (नया)**	**डूंगरराम पुत्र शिम्भुराम हिस्सा 1/8 जाति मेधवाल निवासी शोभासर (नया)**

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में भुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ